STATEMENT

In digenous generating units commissioned during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 with their original and actual delivery dates

Name of the project	No. & capacity of Units (MW)	Delivery	
		Original	Actual
Hydro			
1. Bassi (H.P.)	3x15	I 19/65 II 3/65 III 7/66	9/69 2/69 12/69
2. Obra Hydel (U.P.)	3x33	I 12/67 II 6/68 III 9/68	7/69 6/70 12/70
3. U.B.D.C. (Punjab)	3x15	I 68-69 II 69-70 III 69-70	8/70 71-72 72-73
Thermal			
1. Parli (Maharashtra)	2x30	I 67-68 II 67-68	12/71 1/72
2. Hardauganj (U.P.)	2x55	I 6/68 II 12/68	12/70 12/71
3. Ennore (T.N.)	2x55	I 68-69 II 69-70	8/69 4/70
4. I.P. Station Extn. (Delhi)	1x55	3/69	12/70
5. Obra Thermal Extn. (U.P.)	1x100	9/69	3/72

कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की जांच पड़ताल

396. **श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग द्वारा 1972 में अनुचित तरीकों से कंपनियों को पंजीकृत कराके कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए एकाधिकारी गृहों के विरुद्ध कितने मामलों में जांच की गयी; और

(ख) उन एकाधिकारी गृहों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

tfCASES INVESTIGATED FOR VIOLATING COMPANIES ACT

396. SHRI V. K. SAKHLECHA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases in which his Department made investigations in 1972 against monopoly houses for violating the provisions of the Companies Act by getting registration of companies by unfair means; and

(b) the names of those monopoly houses I and the action taken against them?]

tj] English translation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) "एकाधिकार गृह" से संबंधित किसी भी कम्पनी के कार्य के बारे में, इस प्रश्न में उल्लिखित आधारों पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 ख (2) के अन्तर्गत 1972 में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया था और न कोई आवेदन-पत्र या रिपोर्ट ही, कथित अधिनियम की धारा 235 के अन्तर्गत, ऐसे आधारों पर कोई जांच के आदेश दिये जाने के लिए प्राप्त हुई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, IUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI D. R. CHAVAN): (a) No investigation under section 237(b)(ii) of the Companies Act, 1956 was ordered in 1972 in respect of the affairs of any company belonging to a "Monopoly House", on grounds stated in the question, nor any application or report has been received under Section 235 of the said Act for ordering investigations on such grounds.

(b) Does not arise.]

आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के संबंध में अध्ययन

397. **श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने देश में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के संबंध में उत्पाद-वार अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन एकाधिकारी गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें दत्त आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है और जिनका पता प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद चला है और ऐसे प्रत्येक एकाधिकारी गृह के पास कितने कितने प्रतिष्ठान हैं ?

[STUDY ON CONCENTRATION OF ECONOMIC POWER

397. SHRI V. K. SAKHLECHA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether his Department has completed product-wise study regarding concentration of economic power in the country;

(b) if so, the details of the report submitted by the study group; and

(c) the names of the monopoly houses which were not included in the Report of the Dutt Commission and which have been discovered after the submission of this report and what is the number of concerns owned by each of such monopoly houses?]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) विभाग ने 349 चयन किये गये उत्पादों वाले 36 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की बाबत, तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत एककों में उत्पाद संकेन्द्रण का अध्ययन किया था। इस अध्ययन से पता चला कि इन 349 उत्पादों में से 312 उत्पादों में उच्च संकेन्द्रण प्रदर्शित हुआ था। (अर्थात् 1970 में, उत्पादन का 75 प्रतिशत या इससे भी अधिक उत्पाद निर्माता तीन शीर्षस्थ उपक्रमों का गिना गया था) इस प्रकार के संकेन्द्रण वाले मुख्य उद्योग, बहिर्वह तथा इसके सहायक पदार्थ, कृषि मशीनरी तथा उपकरण औद्योगिक तथा खनिज मशीनरी, मूल धातुएं निर्माण तथा भू-प्रभण-कर्ता उपकरण, औद्योगिक उत्स्फोट, मैषज तथा रसायन रबड़ का सामान तथा वैज्ञानिक व औद्योगिक उपकरण है।

(ग) इस विषय की एकाधिकारी एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 20 (क) की दृष्टि में विचार करते समय, 17 नवीन अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों के कुलक, जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (दत्त कमेटी) की रिपोर्ट में, वृहद

•"I jEnghsh translation.